हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 98/2021 किस्म 225 आर.टी.एक्ट. बअनवान खीमाराम वगै. बनाम डायाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

18.11.2021

पीठासीन अधिकारीः– श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थितः– श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री ललित जांगिड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.11.2021

अपील दर्ज रजिस्टर हो। उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रकरण में अंतिम बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष के निवेदन के मुताबिक प्रकरण पर अंतिम बहस सुनी गई।

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 106/2021 बअनवान डायाराम वगै. बनाम तारादेवी वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील में वर्णित तथ्यों को दौराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के जवाब पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में मार्क ए (A) से बी(B) पर किसी प्रकार का अपने आदेश में स्पष्टीकरण नहीं किया है तथा तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट के मार्क ए, डी, एफ का प्रस्तावित रास्ता सहज सुगम व निकटतम कटाण स्पर्श होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर गौर किये बिना अपीलांट के खातेदारी खेत में से रास्ता निकालना कायम किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अपीलांट के जवाब पत्र व लिखित आपति तथा बहस पर गौर न करते हुए उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेटस के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि हस्तगत प्रकरण में प्रदत्त रास्ता मौका फर्द दिनांक 17.09.2021 के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में वर्णित बिन्दु संख्या ए से डी तक सही है। लेकिन उससे आगे दिया गया रास्ता विधि की दृष्टि में सही नहीं है। मौके पर निकटतम व सुगम दूरी का विकल्प मौजूद है मार्क ए, डी, एफ तथा इसी अनुसार रास्ता दिया जाता है तो रेस्पोडेंट की रास्ते की मांग पूर्ण

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर